

416168

राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

राजस्थान सरकार द्वारा  
राजस्थान राज्य सरकार  
द्वारा आयोजित किया गया है  
जिसमें राजस्थान सरकार  
की ओर से राजस्थान सरकार  
के द्वारा आयोजित किया गया है  
जिसमें राजस्थान सरकार  
की ओर से राजस्थान सरकार  
के द्वारा आयोजित किया गया है  
जिसमें राजस्थान सरकार  
की ओर से राजस्थान सरकार  
के द्वारा आयोजित किया गया है

राजस्थान सरकार  
राजस्थान सरकार

अपवर्ग अधिकारी एवं  
सहायक कोर्र  
राजस्थान (बीकानेर)

सं. १५८

श्रीमान् उपजाण्ड अधिकारी जी  
शाहपुरा जिता भीत नडा

प्रकरण सं०-                      तन-

सोमा आदि            वनाम    रायस्थान राज्य आदि  
जवाब प्रार्थनापत्र

15/2/17

महोदयजी

विषयकी संज्ञा पांच छह की ओरसे निम्न जवाब पेश है -

- 1- यह हैकि पेशासंबंधा एक में वर्णित अति पेशा करना स्वीकार है बाकी तथ्य गत होने से अस्वीकार है।
- 2- यह हैकि पेशासंबंधा दो का जवाब इसप्रकार हैकि इस पेशे में वर्णित तथ्य ग्राम पंचायत कलाण्ड में आराधी संख्या 988, 984 तथा 9 तीघा के छत आराधी संख्या 1995, 1996 तने का तथ्य गत है प्रार्थानिका के पिता को जो जमीन आवंटित नहीं हुई थी। अपीलाथानिका व उनके पिता का इस पेशा में वर्णित जमीन पर कभी कोई उपयोग उपभोग नहीं हो रहा है।
- 3- यह हैकि पेशा संख्या तीन में वर्णित तथ्य कि अपीलाथानिका नारायण पिता अमरा बंजारा की विधवा विरासत है स्वीकार करें। मांशू पिता विराना बंजारा नारायण पिता अमरा बंजारा का पुत्र नहीं हो यह तथ्य गत है।
- 4- यह हैकि पेशा संख्या चार में अपीलाथानिका के पिता की मृत्यु 31 साल पूर्व होने व उस समय अपीलाथानिका के अवस्था व अन्यद होने से तथ्य अपीलाथानिका वह सिद्ध करें। मांशू पिता विराना बंजारा द्वारा ग्राम पंचायत कलाण्ड में नारायण पिता अमरा बंजारा की मृत्यु के बाद इन काल खूतवोन हेतु किसी प्रकार का वेरमा बंजारा

*(Handwritten signature)*



दीपिका 2-11

प्रार्थनापत्र दिया है तो उसे भी अपीलार्थिगण स्वयं अपनी दस्तोवणी साक्ष्य से माहित करें।

- i- यह हैपि पेरा संख्या पांच में वर्णित मांगू पुत्र तिसना बंगाराद्वारा दिनांक 19-3-1986 को पेमा पुत्र रामा बंगारा को जमीन विधेय करने का तथ्य सही है और इन पेरा में वर्णित अन्य व सभी कथन आधार हीन व मनकहत हैं। नामान्तरण संख्या 711 पूर्ण तथा वेधा है और उक्त नामान्तरण के बाद ही नांक 19-3-1986 से पेरा संख्या दो में वर्णित कृषि आराजियात पर पेमा पिता रामा बंगारा का हक हक व कब्जा तसहत निर्वाधा स्य से दिनांक 5-9-11 तक चला आ रहा है व दिनांक 5-9-11 के बाद विपक्षी संख्या छह का हक हक व कब्जा तसहत बिना किसीवाधा के उक्त कृषि आराजियात पर आज तक लगातार चला आ रहा है और उक्त कृषि आराजियात पर आज तक लगातार चला आ रहा है। और उक्त कृषि आराजियात विपक्षी संख्यासात के सहां रहन है। दिनांक 15-10-33 को मांगू पुत्र तिसना बंगारा के नाम छोटा स्या नामान्तरण पूर्णतया पेमा व तानून तम्मत है।

यह हैपि पेरा संख्या छह द्वारा पूर्ण प्रतिफादेवर मोने पर मोहूद जमीन की कीमत से भी अधिक कीमत कचेता को ही रखी और विपक्षी संख्या पांच ने पूर्णतया तानून तम्मत तरीके से उक्त आराजी तारीद की है। विपक्षी संख्या छह के सामने अपीलार्थिगण का उक्त कृषि आराजियात पर कोई हक व अधिकार नहीं है।

यह हैपि पेरा संख्या सात में वर्णित तथ्य रामा पिता पेमा बंगारा के पिता पेमा पेमा बंगाराने फर्की गयाहीदी हो अपीलार्थिगण स्वयं

 -3-  शमाकबन्गारा।

अपनी कार्यवाही से लापता करावें। अन्य सभी वर्गों के तथ्य अंतर्गत होने से अस्वीकार है। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 25-4-14 को उक्त पंजीन की नकल प्राप्त करना व उत्तरपंजीन रहन रानी होने की जानकारी प्राप्त करना सभी तथ्य अंतर्गत वर्गों के होने से अस्वीकार है।

- 8- यह है कि पेशा संख्या आठ में अंतर्गत प्राथमिक पेशा किया गया है।  
: अपना कथान :
- 9- यह है कि अपीलार्थीगण ने विपक्षी संख्या तीन ग्राम पंचायत अधिनियम 109 के तहत किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है इसलिये भी यह प्राथमिक पेशा द्वारा ज तिये जाने योग्य है।
- 10- यह है कि अंतर्गत संख्या 711 दिनांक 15-10-83 का छोकर अपीलार्थीगण द्वारा मित्राद में अपील पेशा नहीं किये जाने के कारण अपील लापता किये जाने योग्य है।
- 11- यह है कि अपीलार्थीगण द्वारा पंजीन निरस्त करवाये जाने का प्राथमिक पेशा न्यायालय में पेशा करने के कारण यह अपील अंतर्गत पेशा की है।

अतः पेशा कर निषेदन है कि अपीलार्थीगण

का प्राथमिक पेशा तथ्य निरस्त करमाया जावे।

दिनांक 15-03-17

हस्ताक्षर-



दीपा रानी

श्रीमती दीपा रानी